फर्द अहकाम

पांचो बनाम ओमप्रकाश

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 10/2023 | प्रा.पा. अवमानना

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
Parokar जानकारी 25/10/24	25/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पा. (अवमानना) दायरी दिनांक 28/07/23 के क्रम में अभियोगपत्र तलबी आज दिनांक तक प्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः हेतु न्यायालय आदेश दिनांक 08/10/24 द्वारा भी अभियोगपत्र दिया गया है, परन्तु न्यायालय आदेश की प्रभावी पालना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अंतिम आदेश से पूर्व सर्वथा अंतिम अवसर हेतु निदेश के अधीन पुनः दिया जाता है कि आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से अभियोगपत्र प्रभावी रूप से पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी अभियोगपत्र 01.11.24 व अंतिम आदेश बाबत अनुपस्थिति अभियोगी दिनांक 08/11/24 को पेश हो।	
		सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	08/11/24	आज दिनांक 08/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। मी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अ... पूर्वानुसार दिनांक 19/11/24 को पेश हो।	
	19/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष समीप तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:54:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

पांचो बनाम ओमप्रकाश

न्यायालय
संख्या 10/2023 (प्रा.पा. अवमानना)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/11/24	किया गया। पत्रावली प्रा.पा. अवमानना से सम्बन्धित है। जो दायरी दिनांक 28.07.23 से आज दिनांक तक भी तलबी अभियोगपत्र हेतु नियत है। मूल प्रकरण का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है। हस्तगत पत्रावली हेतु तलबी पूर्ण कराई जाने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी को निरन्तर अवसर व समय दिया जाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से तलबी अभियोगपत्र पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु स्वयं प्रार्थी/अधिवक्ता प्रार्थी को आदेश दिनांक 08.10.24, 25.10.24 द्वारा भी समय रूप से निर्देशित किया गया है। इसके उपरान्त भी न्यायालय आदेश की प्रभावी पालना प्रस्तुत नहीं की गई है तथा आज नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र (अवमानना) अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के क्रम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	